संख्या: 02/2026/I/1202034/2026-68-5099/79/2024

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2026

विषय: कक्षा-3 से 5 के परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-नि0का0/स0शि0/फर्नीचर/4969/2025-26, दिनांक 15.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत 24-वृहद् निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,000.00 लाख (रू0 दो हजार करोड़) की एकमुश्त बजट व्यवस्था से पत्र में उल्लिखित तालिका में प्रस्तुत विवरणानुसार क्रमांक 1 से 20 तक के जनपदों, जिनमें फर्नीचर आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है/आपूर्ति जारी है/क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है, हेतु कुल धनराशि रू0 15,570.55533 लाख (रूपये एक सौ पचपन करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार पांच सौ तैंतीस मात्र) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.10.2025 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत वृहद् निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,000.00 लाख (रू0 दो हजार करोड़) की एकमुश्त बजट व्यवस्था की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के प्रथम भाग की तालिका के बिन्दु क्रमांक-6 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में उक्त मद से कक्षा 3 से 5 के लिए चिन्हित 12,365 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 6,65,968 छात्र-छात्राओं हेतु 2,26,125 नग फर्नीचर (डेस्क-बेंच) हेतु प्रति फर्नीचर (थ्री-सीटर), इकाई लागत रू0 7,172/- की दर से ऐसे 20 जनपदों, जिनमें फर्नीचर आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है/आपूर्ति जारी है/क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है, के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 15,570.55533 लाख (रूपये एक सौ पचपन करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार पांच सौ तैंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **संलग्न सारिणी-1** में अंकित जनपदवार विवरण (कॉलम-2) एवं वित्तीय फॉट (कॉलम-9) के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- फर्नीचर (डेस्क-बेंच) की समस्त क्रय प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से की जायेगी और जेम संबंधी सभी अद्यतन सुसंगत शासनादेशों/नियमों/शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य में किया जाएगा, जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- व्यय होने वाले सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7- फर्नीचर क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26 नवम्बर, 2024 में प्राविधानित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।

8- योजना के गाइड-लाइंस का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रत्येक दशा में स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

10- आपूर्ति किये जा रहे फर्नीचर (डेस्क – बेंच) की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी ।

3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (संबंधित जनपद) आपूर्ति किये जा रहे फर्नीचर (डेस्क-बेंच) की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या -71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01- सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-04 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24 वृहद निर्माण कार्य' मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश FINRMS से प्राप्त वित्त विभाग द्वारा आवंटित अशासकीय संख्या-ई-11-287-X-2025-26, दिनांक 08 जनवरी, 2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन ।
12. बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक: सारिणी-1

S. No.	District	Num of Schools for Ist Phase	Total Student (Class 3 to 5)	Total Desk & Bench for Ist phase (Class 3 to 5)	Total Budget Req. for Ist Phase (In lac.)	Fund Allocation for Ist Installment (in Lac)	Fund expenditure against coloumn No. 7	Fund to be release (FY 2025-26)
1	2	3	4	5	6	7 (70% of col. 6)	8	9
1	KUSHINAGAR	1102	58278	19784	1418.9085	993.23594	0.00	1418.9085
2	LUCKNOW	295	13642	4652	333.64144	233.54901	0.00	333.64144
3	UNNAO	1716	75252	25662	1840.4786	1288.335	0.00	1840.4786
4	BAGHPAT	51	4141	1395	100.0494	70.03458	21.46359	78.58581
5	BULANDSHAHR	222	13207	4477	321.09044	224.76331	0.00	321.09044
6	GAUTAM BUDDHA NAGAR	45	2770	935	67.0582	46.94074	44.736	0.00
7	CHANDAULI	298	21984	7427	532.66444	372.86511	371.4257	0.00
8	AYODHYA	535	23202	7905	566.9466	396.86262	0.00	566.9466
	TOTAL (A)	4264	212476	72237	5180.8376	3626.5863	437.62529	4559.65139
9	ALIGARH	1021	56876	19305	1384.5546	969.18822	0.00	1384.5546
10	DEORIA	993	44362	15136	1085.5539	759.88774	0.00	1085.5539
11	GORAKHPUR	1285	71406	24230	1737.7756	1216.4429	0.00	1737.7756
12	MAHARAJGANJ	787	43375	14721	1055.7901	739.05308	0.00	1055.7901
13	SITAPUR	705	51961	17565	1259.7618	881.83326	25.9434	1233.8184
14	HAPUR	39	2581	869	62.32468	43.627276	0.00	62.32468
15	MUZAFFARNAGAR	60	4791	1613	115.68436	80.979052	0.00	115.68436
16	GHAZIPUR	1290	71548	24279	1741.2899	1218.9029	0.00	1741.2899
17	JAUNPUR	582	38831	13141	942.47252	659.73076	0.00	942.47252
18	VARANASI	358	25768	8704	624.25088	436.97562	0.00	624.25088
	TOTAL (B)	7120	411499	139563	10009.45834	7006.620808	25.9434	9983.51494
19	ETAH	957	39229	13396	960.76112	672.53278	0.00	960.76112
20	GHAZIABAD	24	2764	929	66.62788	46.639516	0.00	66.62788
	TOTAL (C)	981	41993	14325	1027.389	719.172296	0.00	1027.389
	GRAND TOTAL	12365	665968	226125	16217.68496	11352.37941	463.56869	15570.55533

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।